सामुदायिक सुरक्षा जांच

बदरपुर, मदनपुर खादर जे जे कालोनी, बवाना जे जे कालोनी

जून 2016

महिलाओं एवं लड़कियों के लिए सुरक्षित व सम्मिलित शहर

'जागोरी' औरतों का प्रशिक्षण, संप्रेषण, शौध और संदर्भ केंद्र है। हम लगभग 30 सालों से अधिक समय से हम औरतों के अधिकारों पर काम कर रहे हैं। हम सममुदाय के यूवा, महिलओं के साथ महिलाओं व बालिकाओं की ज़िंदगी पर होने वाले प्रभावों तथा हिंसा के भिन्न रूपों पर एक समझ और अधिकारों की जागरूकता के विषय में कार्य कर रहे हैं। और महिलाओं की सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा के मुददे् को संबोधित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

सेफ्टीपिन एक मोबाइल ऐप्लिकेशन है। यह दुनिया भर के विभिन्न शहरों से सुरक्षा आंकड़ों को अनेक प्रकार के लोगों के साथ और इंटरनेट (क्राउडसोर्स) से प्राप्त करती है। सेफ्टीपिन और जागोरी की साझी भागीदारी समुदायों व संस्थाओं में सुरक्षा ऑडिट का संचालन एवं मुददें की पैरवी के लिए इसका इस्तेमाल करने के लिए लोगों को सक्षम बनाती है। जागोरी पिछले कुछ सालों से सार्वजनिक स्थलों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के लिए सुरक्षित दिल्ली अभियान चला रही है।

भूमिका

भारत की जनगणना 2016 की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की अनुमानित शहरी मलिन बस्तियों की जनसंख्या 16,753,235 है। स्त्रोत (http://www.indiaonlinepages.com/population/india-current-population.html) शहरी गरीब घटिया आवासन और साफ पीने के पानी, शौचालय, उचित शिक्षा और एक सम्मानजनक जीवन व आजीविका पाने का अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाओं के बिना भयानक परिस्थितियों में रहते हैं। महिलाओं व लड़कियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक स्थलों में बैखौफ माहौल ना होने की वजह से आधी आबादी भयावह स्थिति जी रही हैं। समुदाय में महिलाओं एवं युवाओं के साथ लम्बे समय तक जुड़ाव के माध्यम से सुरक्षा और विशेष रूप से लड़कियों की सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता सामने आई है। इसके अलावा यह भी देखा जा रहा है कि बेघर महिलाएं व लड़कियां बड़ी संख्या में हैं। जो असुरक्षित जिंदगी जी रही हैं। अतः इस बात की समझ बढ़ती जा रही है कि स्थानीय सरकारी निकाय इस पैमाने के संकट से निपटने के लिए ठीक तरह से लैस नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं इस संकट से निपटान के लिए स्थानिय लोगों को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। इस सोच के साथ जागोरी ने महिलाओं एवं यूवाओं का नेतृत्व कौशल निर्माण किया। ताकि वे शहर के स्थानों पर सुरक्षित व शहर में हक के साथ चलने का अधिकार पा सकें। इसी मुहिम के चलते महिलाओं ने सुरक्षा आडिट किये जिससे स्थानीय सेवा मुहैया कराने वालों के साथ संपर्क मजबूत बने और शहरी लोगों के प्रति अधिक जवाबदेह बनें।

सार्वजनिक जगहों पर हिंसा व उत्पीड़न औरतों और उनकी दैनिक ज़िंदगी पर बुरा असर डालती है।

इसके अलावा हिंसा होना और उसके होने का डर औरतों और लड़कियों को खुलकर जीवन जीने का मौका नहीं देता है। औरतों एवं लड़कियों के लिए सुरक्षित सम्मिलित समुदाय व शहर बनाने की मुहीम सुरक्षित शहर आंदोलन का अहम हिस्सा रहा है। इसी मुहीम को आगे ले जाने की कड़ी में जागोरी ने दिल्ली में, मालवीय नगर, मोलड़बंद, बदरपुर, हॉजखास, महरौली, मदनपुर खादर और बवाना, जो मिले जुले तबकों में काम किया।

सुरक्षा ऑडिट

''महिलाओं की सुरक्षा का ऑडिट (डब्ल्यू. एस.ए.) सार्वजनिक स्थलों में शहरी सुरक्षा की धारणा के बारे में जानकारी इकट्ठा करने और उसका आंकलन करने के लिए एक सहभागितापूर्ण तरीका है। यह बदलाव के लिए एक शक्तिशाली तरीका है। यह पूरे समुदाय को उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर काम करने के लिए एक साथ लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डब्ल्यू.एस.ए. महिलाओं और अन्य कमजोर वर्ग के लोगों के लिए – सभी के लिए – एक सुरक्षित और अधिक आरामदायक वातावरण बनाने में मदद करता है'' (एमईटीआरएसी, 1998)।

ऑडिट के दौरान स्थानीय महिला व पुरूषों ने टूटे हुए खंडहर बने सार्वजनिक स्थल के बारे में बताते हुए।

सुरक्षा आडिट अभ्यास को समुदाय की महिलाओं एवं युवा नेताओं के नेतृत्व कौशल को विकास के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रकिया में डेटा संग्रह से लेकर, विशलेशण, और समुदाय के साथ सहभाजन और मुददों की पैरवी के लिए जागोरी, सेफ्टिपिन. निगरानी समिति, स्नेहशक्ति समूह, महिला समूह की महिलाओं, युवाओं के साथ किया।इस कार्य के पीछे की सोच महिलाओं व लड़कियों के लिए नेतृत्व कौशल का निर्माण करना है, ताकि महिलाओं एवं लड़कियों के लिए बैखौफ़ और सम्मिलित शहर का निर्माण हो सके। इस ज्ञान और कौशल निर्माण अभ्यास का अनुमानित दीर्घकालिक प्रभाव ऐसे नागरिकों को तैयार करना है जो शहरीकरण की बदलती वास्तविकताओं को जानते हों और सुरक्षित सार्वजनिक स्थानों और गतिशीलता के अधिकार जैसे मुद्दों को संभालने के लिए लैस हों।

किसी जगह के बुनियादी ढांचे का अध्ययन करने और विभिन्न कमियों व चिंताओं को पहचानने के लिए सेफ्टी ऑडिट या सुरक्षा आडिट की पद्धति काफी कारगर साबित होती है। इसमें विभिन्न सुरक्षा मानकों के आधार पर जानकारियां इकट्ठा की जाती हैं। इसके लिए प्रशिक्षण प्राप्त ऑडिटर (जिनमें स्थानीय निवासी भी शामिल होते हैं) निर्धारित सड़कों, पार्कों, गलियों, खुले स्थानों आदि से पैदल गुजरते हैं। वे अपने प्रेक्षणों के जरिए तथा वहां रहने वाले लोगों के साथ बातचीत के आधार पर इस बात को मापते हैं कि वे स्थान कितने सुरक्षित व असुरक्षित अहसास बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऐसे सभी भौतिक व सामाजिक तत्वों का जायजा लिया जाता है जो उस स्थान को सुरक्षित या असुरक्षित बनाते हैं। ऐसे स्थानों और इलाकों को खासतौर से सेफ्टी ऑडिट में शामिल किया जाता

है जहां महिलाओं व बच्चों का आवागमन ज्यादा होता है, जैसे बस स्टाप, बाजार और पार्क आदि। सेफ्टी ऑडिट की पद्धति 1989 में पहली बार कनाडा में इस्तेमाल की गयी थी और तब से दुनिया भर के शहरों में अपनायी जा रही है।

दिल्ली के बवाना, मदनपुर खादर, बदरपुर और मोलाड़बंद, इस बार जून माह में लगातार सेफ्टी ऑडिट के लिए सेफ्टीपिन ऐप का इस्तेमाल किया गया।

तीनों इलाकों में सेफ्टी ऑडिट 20 लोगों की एक टीम द्वारा जून 2016 में किये गए थे। इस टीम में स्नेहाशक्ति समूह बदरपुर, महिला समूह खादर, निगरानी समिति बवाना एवं यूवा समूह के यूवा सदस्य, आशावर्कर, वालेंटियर, सेफ्टीपिन और जागोरी के सदस्यों ने सुरक्षा जांच में शामिल हुए। ये ऑडिट शाम 4 बजे से 6 बजे और शाम 7:30 से रात 9:30 बजे के बीच किये गए। इन सभी जगहों में कुल 166 पिन दर्ज किये गए। तीनों जगहों में सेफ्टी ऑडिट के लिए जो 10 रास्ते चुने गए। **इन रूटों को घरेलू महिलाएं दैनिक कार्यो के लिए, कामकाजी महिलाएं, पुरूष बस स्टॉप व मेट्रो स्टेशन, ग्रामिण सेवा और साईकिल रिक्शा के लिए और ई रिक्शा लेने के लिए, बच्चे व यूवा स्कूल कॉलेज जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं।** ऑडिटर्स ने शहर के बुनियादी ढांचे के बारे में डेटा इकट्ठा किये और साथ ही सड़क पर गुजरते लोगों से भी सुरक्षा के बारे में उनकी राय इकटट्ठा की। इन सभी जगहों में कई रास्तों को सोच–समझकर ऑडिट के लिए चुना गया। इनमें आवासीय इलाके, प्रमुख बाजार, विद्यालय, शौचालय, मंदिर–मस्जिद, बाजार, गली मौहल्ले, बस स्टॉप, आटो रिक्शा स्टेंड, शराब का ठेका, पानी भरने की जगह, पार्किंग, रेड़ी पटरी, कूड़ादान, पार्क, पुलिस बीट, अंदरूनी व बाहर प्रमुख मार्ग और परिवहन बिंदु आदि शामिल थे। ऐसे सभी संभावित सार्वजनिक स्थानों का जायज़ा लेने की कोशिश की गयी जहां से शहर के बुनियादी ढांचे और सुरक्षा की स्थिति के बारे में पता चल सकता है।

बवाना में सार्वजनिक बाजार और महिलाएं

इस रिपोर्ट में सुरक्षा आंकड़ों का विषलेशण शामिल है जिन्हें समुदाय की महिलाओं एवं यूवा नेताओं द्वारा इकट्ठा किया गया और उसमें बदलाव के लिए सुझाव भी दिए गए हैं। यह डेटा संग्रह, विषलेशण, जाँच परिणामों को समुदाय के साथ बांटने और विभिन्न सरकारी निकायों के साथ पैरवी की प्रक्रियाओं की रूपरेखा प्रदान करती है। इसका उद्देश्य सुरक्षा आडिट कार्यप्रणाली को नए क्षेत्रों में ले जाना, ख़ासतौर पर खराब संसाधनों वाले समुदायों तक ले जाना और उन्हें शहरी स्थानों में सुरक्षा पर वैश्विक आंदोलन के साथ जोड़ना है। इस प्रक्रिया के माध्यम से जागोरी ने सेफ्टीपिन और उसके साथी संगठनों द्वारा दिल्ली में चल रहे डेटा संग्रह में योगदान भी दिया है।

मानचित्र 1 बदरपुर ऑडिट पिन की कुल संख्या : 10 बदरपुर का औसत स्कोर 2.75 / 5

उपरोक्त नक्शे में बदरपुर में में सेफ्टी ऑडिट के फलस्वरूप बनायी गयी पिन दिखायी दे रही हैं।

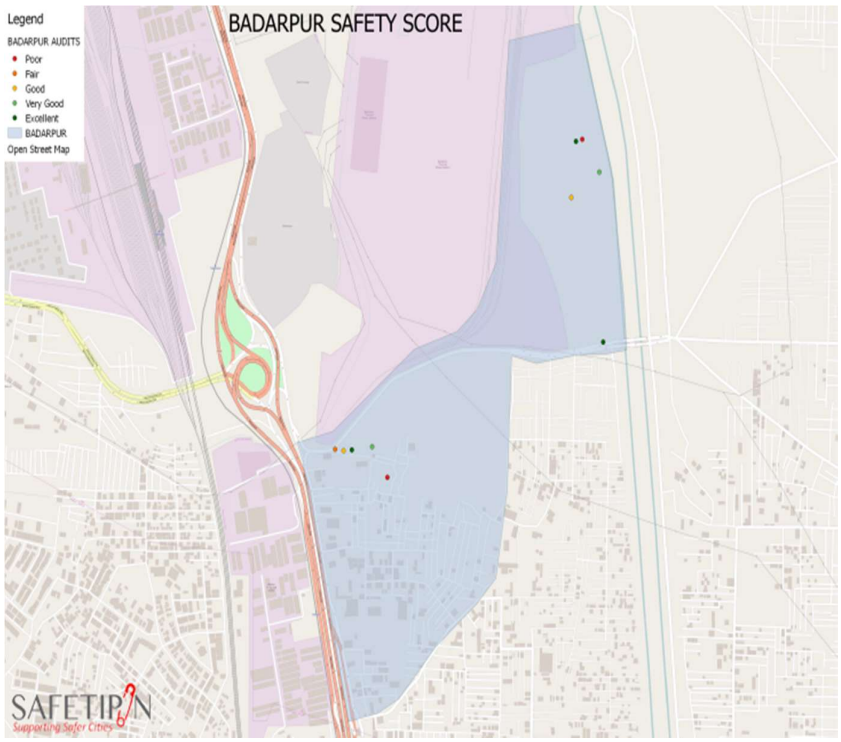

आडिट रूट

स्थान	उजाले में	अंधेरे में
बदरपुर : मोलाड़बंद	बिलासपुर कैंप से बिलासपुर कैम्प शौचालय से मदरसा से बी, डीए ए ब्लॉक से मोलड़बंद गांव से संपेरा बस्ती से पुलिस बीट तक	
बदरपुर		बस स्टेंड से ताजपुर पहाड़ी एस ब्लॉक से बी ब्लॉक से सी ब्लॉक से बुद्धविहार से धर्मवीर मार्केट

सेफ्टिपिन ऑडिट के मापदंड :

1. रोशनी – इलाके में रोशनी कैसी है, अंधेरा, खराब रोशनी, पर्याप्त रोशनी या चमकता हुआ उजाला।
2. खुलापन – क्या इलाके में सभी दिशाओं में सामने देखने के लिए स्पष्ट पर्याप्त खुला इलाका है या वहाँ दिखाई न देने वाले कोने हैं।
3. दृश्यता – क्या वहाँ आसपास इमारतें, दुकानें, स्टाल, और विक्रेता हैं जो उस बिंदु को अनदेखा करते हैं जहाँ सुरक्षा ऑडिट किया गया था।
4. भीड़ – क्या वहाँ लोग नज़र आते हैं।
5. सुरक्षा – क्या आसपास के क्षेत्र में निजी सुरक्षा या पुलिस दिखाई देती है।
6. पैदल रास्ता – क्या पैदल चलने के लिए रास्ता उपलब्ध है और क्या अच्छी हालत में है।
7. सार्वजनिक परिवहन – ऑडिट वाले इलाकों से सार्वजनिक परिवहन लेना कितना आसान या मुश्किल है।
8. जेंडर प्रयोग – क्या जनसमूह/भीड़ में जेंडर विविधता को संतुलित करने के लिए पर्याप्त महिलाएं और बच्चे हैं।
9. भावनाएं – ऑडिट के दौरान ऑडिट करने वालों को कैसा महसूस

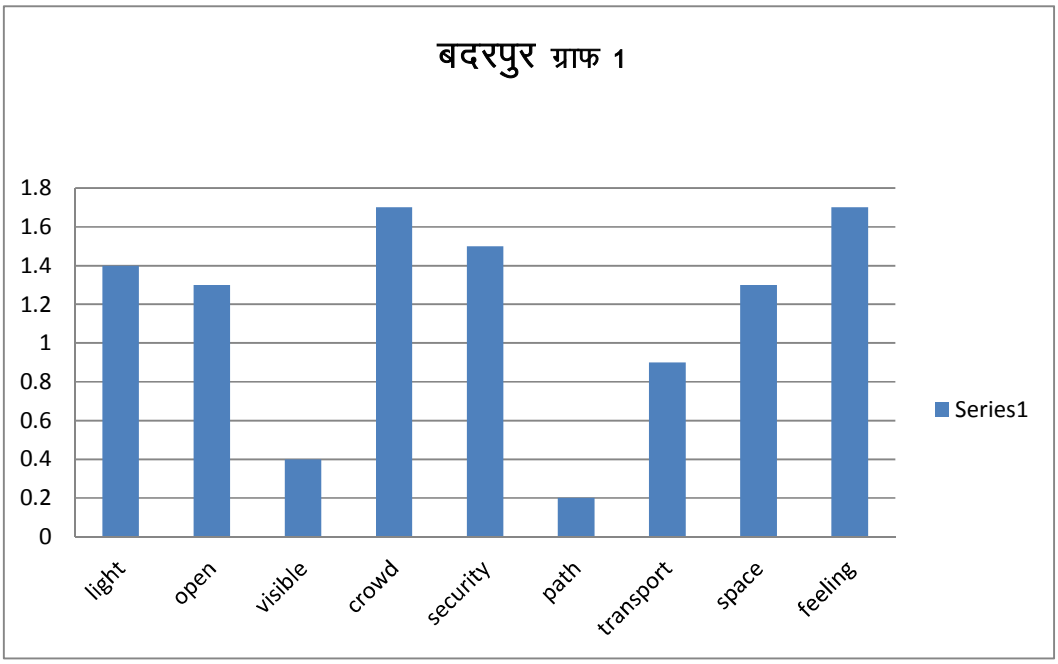

{लाइट खुलापन दृशयता भीड़ सुरक्षा रास्ता परिवहन जेंडर प्रयोग एहसास}

मुख्य नतीजे व समिक्षाः

दिल्ली के **बदरपुर** में किये गए सेफ्टी ऑडिट्स इस बात को दर्शाते हैं कि बहुत सारे सार्वजनिक स्थान जो कि दिन के समय सुरक्षित और पहुंच के भीतर दिखायी देते हैं। वही दिन ढलने के बाद असुरक्षित और सूनसान होने लगते हैं। लिहाजा, जैसा कि ग्राफ 1 में दिखायी पड़ रहा है, सेफ्टी ऑडिट अंधेरे और उजाले में किए गए। प्रत्येक पिन में निम्नलिखित 9 मापदण्डों का विशलेशण हैः

क्षेत्र	औसत दर	विवरण
लाईट	1.4	बदरपुर के 40 प्रतिशत किए गए ऑडिट के विस्तृत विश्लेषण के आधार पर लाईट की व्यवस्था कम है। सिर्फ 20 प्रतिशत इलाके में ही रोशनी है। स्ट्रीट लाइट्स की स्थिति खास तौर से खराब दिखायी देती है। हमारी राय में इस इलाके को अंधेराग्रस्त इलाका कहा जा सकता है। नागरिकों, खासतौर से महिलाओं व बच्चों के लिए एक असुरक्षित शहर की श्रेणी में आता है।
खुलापन	1.3	सिर्फ 10 से 20 प्रतिशत इलाका ही थोड़ा खुला है।
दृष्यता	0.4	60 प्रतिशत सुरक्षा जांच किए गए इलाके में दृश्यता ना के बराबर है बाकि 40 प्रतिशत इलाके में सीमित दृश्यता दिखाई दी। इससे ये निकल कर आता है कि आई ऑन द स्ट्रीट (अनौपचारिक निगरानी) ना के बराबर है।
भीड	1.7	20 प्रतिशत रास्ते भीड़भाड़ वाले थे। बाकि 50 प्रतिशत रास्तों में थोड़ी भीड़ थी। भीड़ संबंधी पहलू के अलावा (जिसका औसत स्कोर 2.75/5 है)
सुरक्षा	1.5	50 प्रतिशत जगहों में सुरक्षा का आभास था।
रास्ता	0.2	आडिट किए गए रूट में 90 प्रतिशत रास्तों को 0 अंक मिले क्योंकि फूटपाथ और रास्तों की दशा दयनीय थी। प्रत्यक्ष सरकारी व निजी सुरक्षा बंदोबस्त, खराब दिखाई दिये।
सार्वजनिक परिवहन	0.6	सुरक्षा जांच किए गए क्षेत्रों में सिर्फ 10 प्रतिशत सार्वजनिक वाहन हैं। सार्वजनिक परिवहन साधनों की उपलब्धता का स्तर खराब रहा।
जेंडर प्रयोग	1.3	सार्वजनिक रास्तों का प्रयोग करने वाले लोगों में बहुत ही कम जेंडर समान लोग दिखाई दिये। यानि की सार्वजनिक रास्तों का प्रयोग करने में महिला पुरूषों की संख्या बराबर होने की बजाय बहुत ही कम थी। 40 प्रतिशत स्थानों में भिन्नता पाई गई। जेंडर संतुलित भीड़, साधनों की उपलब्धता, और
एहसास	1.6	सुरक्षा जांच टीम सदस्यों को 40 प्रतिशत स्थानों में असहजता महसूस हुई।

बाकी सभी आडिट कसौटियों पर यहां की रेटिंग औसत व खराब से नीचे ही रही है।

मदनपुर खादर मानचित्र 2

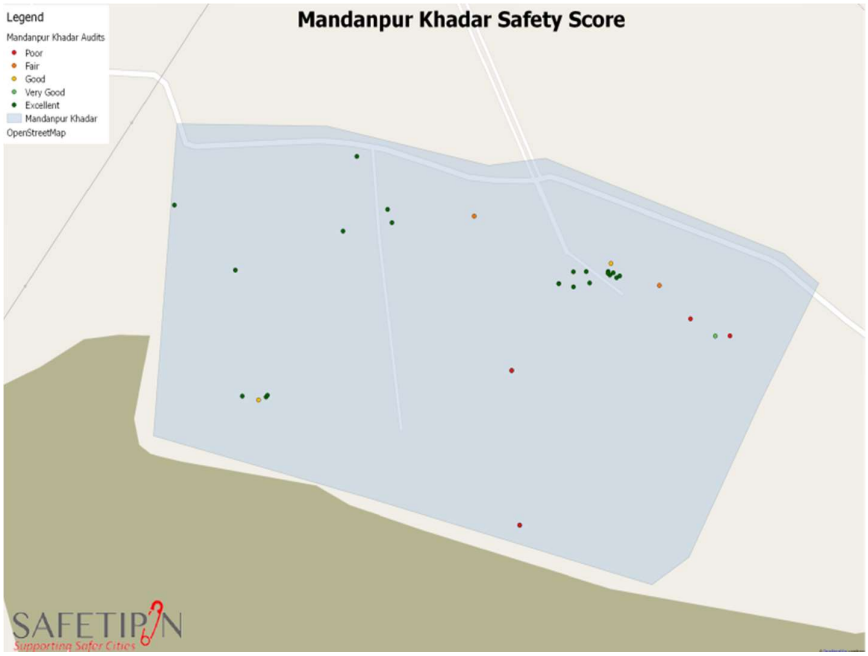

आडिट पिन संख्या मदनपुर खादर में कुल ऑडिट पिन की संख्या 36 में सेफ्टी ऑडिट

जैसा कि मानचित्र 2 में दिखायी पड़ रहा है, **मदनपुर खादर** में काफी हरे पिन (यानी सुरक्षित इलाके) भी हैं; कुछ पिन लाल (यानी असुरक्षित) तथा गहरे पीले (औसत सुरक्षा स्तर) हैं।

आडिट रूटः

मदनपुर खादर	ए 1 ब्लॉक से बी1 वाली गली	ए 2 स्कूल से जलेबी चौक तक
	फेज़ थ्री श्रीराम चौक से नुडल्स एक्सप्रेस	नुडल्स एक्सप्रेस से फेज़ थ्री पुश्ता तक

ग्राफ 2 मदनपुर खादर में सभी मानकों पर औसत स्कोर एक नज़र में:

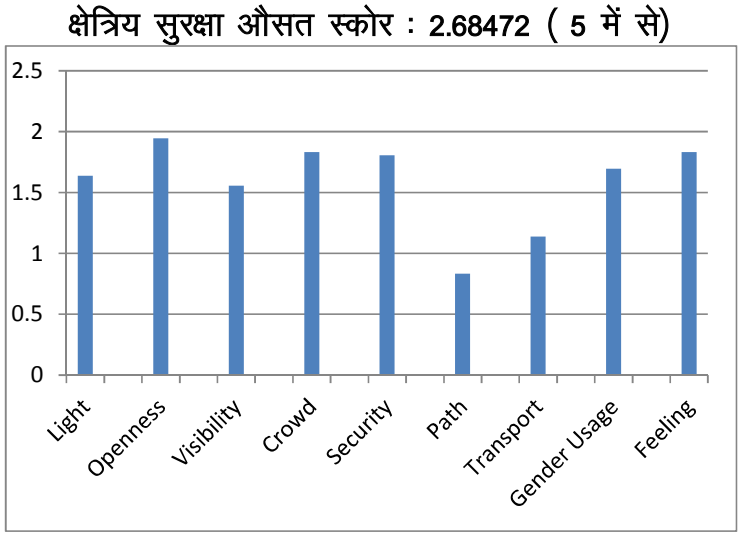

{लाइट खुलापन दृशयता भीड़ सुरक्षा रास्ता परिवहन जेंडर प्रयोग एहसास }

मदनपुर खादर में सुरक्षाबोध के साथ सेफ्टी ऑडिट मानकों का मिलान व सांख्यिकीय नतीजे

क्षेत्र	औसत दर	विवरण
लाईट	1.6	जांच में निकला कि सिर्फ 25 प्रतिशत क्षेत्र में अच्छी तरह से उजाला है।
खुलापन	1.3	55 प्रतिशत क्षेत्र में कुछ हद तक खुलापन है।
दृश्यता	1.5	(सड़क पर नज़र /अनौपचारिक निगरानी): 47प्रतिशत आडिट किए गए रूट में थोड़ी बहुत अनौपचारिक निगरानी थी।
भीड	1.7	47 प्रतिशत आडिट किए गए रास्तों में कुछ हद तक भीड़ थी।
सुरक्षा	1.6	44 प्रतिशत आडिट किए गए रास्तों में सीमित सुरक्षित था।
रास्ता	0.7	58 प्रतिशत आडिट किए गए रास्तों में फूटपाथ नहीं थे।
सार्वजनिक परिवहन	1.2	47प्रतिशत आडिट किए गए रास्तों में थे।
जेंडर प्रयोग	1.6	सिर्फ 22 प्रतिशत रास्तों को भिन्न लोग प्रयोग कर रहे थे।
अहसास	1.8	सिर्फ 27 प्रतिशत जगहों में ऑडिट टीम सहज थी।

मदनपुर खादर ग्राफ 3 : भीड़ , जेंडर प्रयोग, एहसास में तुलना

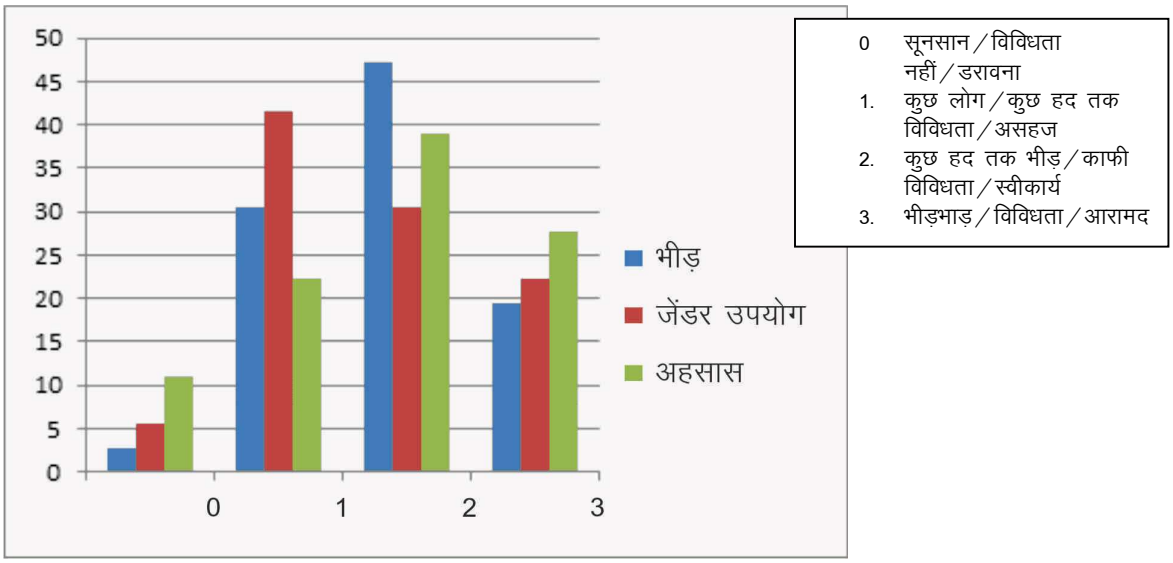

उपरोक्त ग्राफ 3, क्षेत्र में भीड़ की तुलना और क्षेत्र में सुरक्षा के अहसास के रिश्ते को दिखाता है। सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा के स्तर को प्रभावित करने वाले कारकों को पहचानने के लिए सुरक्षाबोध का सेफ्टी ऑडिट के शेष मानकों से मिलान करके देखा गया।

ग्राफ 3 दर्शाता है कि सार्वजनिक स्थानों पर भीड़भाड़ भिन्नता के साथ है। यहां महिलाओं और पुरुषों की उपस्थिति बराबर है। महिलाएं ऐसे माहौल में अपने आपको सुरक्षित महसुस करती हैं।

रास्ते और परिवहन के साथ तुलना ग्राफ 4

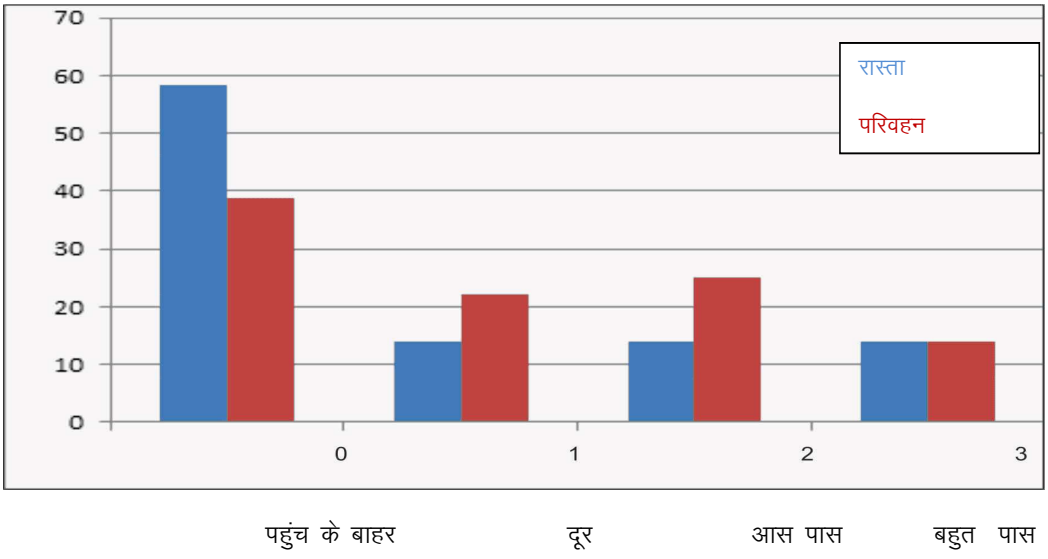

ग्राफ 4 दर्शाता है कि ज़्यादातर पिन की संख्या फूटपाथ के खस्ताहाल होने के बारे में बताती है। 58 प्रतिशत स्थानों में चलने के लिए फूटपाथ ही नहीं हैं। इनमें से ज़्यादातर

स्थानों में परिवहन व्यवस्था ही नहीं है। इससे सार्वजनिक स्थानों पर लोगों खासतौर पर महिलाओं की उपस्थिति, दोनों से सीधा फर्क पड़ता है। साथ ही इससे ये नतीजा निकलता है कि यहां पर बेहतर सड़कें/रास्ते और सुचारू परिवहन व्यवस्था की सख्त व्यवस्था होनी चाहिए।

ग्राफ 5 खुलापन में सुरक्षा के अहसास की तुलना

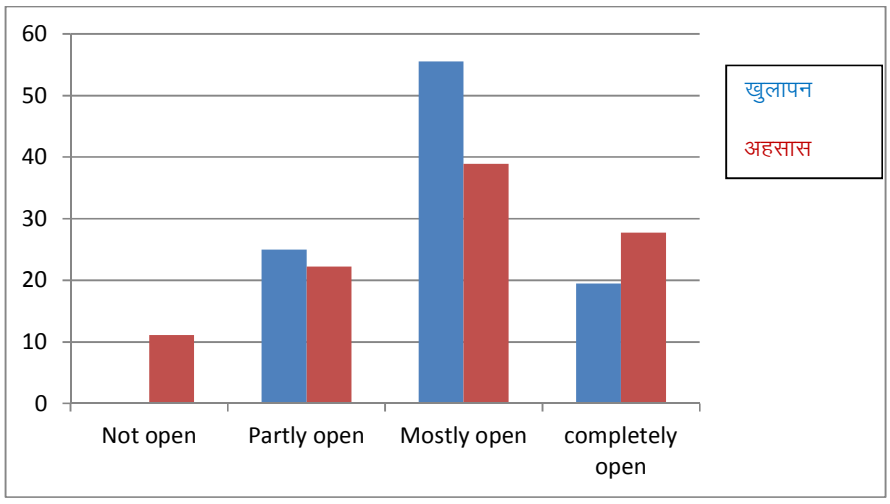

{ खुलापन नहीं थोड़ा खुलापन ज़्यातर खुलापन पूरी तरह से खुलापन }

ग्राफ 5 दर्शाता है कि मदनपुर खादर क्षेत्र में अधिकतर खुलापन होने के कारण महिलाओं ने इन स्थानों को सुरक्षा के नज़रिये से खुलेपन होने को स्वीकार किया है। यह ग्राफ संकेत देता है कि महिलाएं बंद और संकीण जगहों में अपनेआप को असुरक्षित मानती हैं। जहा खुले हुए स्थान महिलाओं को सहज बनाते हैं।

ग्राफ 6 लाईट और अहसास की तुलना

ग्राफ 6 करीब 30 प्रतिशत मदनपुर खादर में पर्याप्त लाईट है। इसी कारण महिलाओं ने इन स्थानों को ज़्यादा स्वीकार वाले अहसास को महसूस किया। इसी कारण 25 प्रतिशत ऑडिट किए गए इलाकों में महिलाओं ने ज़्यादा सहज महसूस किया।

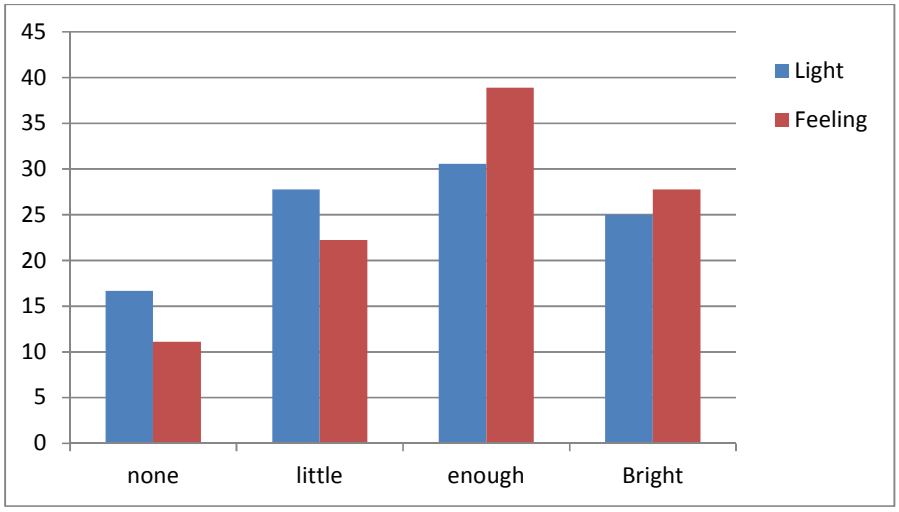

बिलकुल नहीं थोड़ा पर्याप्त उजाला

बवाना

मानचित्र 3 : बवाना में सेफ्टी ऑडिट पिनें

इस मानचित्र में ज्यादातर लाल रंग के पिन (यानी असुरक्षित इलाके) दिखायी देते हैं जबकि कुछ पिन गहरे पीले रंग के हैं जो इस बात के द्योतक हैं कि ये सार्वजनिक स्थान सुरक्षा और नियोजन की दृष्टि से औसत स्तर पर हैं।

मानचित्र संख्या 3 बवाना में में आडिट कुल पिन 120 और औसत स्कोरः 2.85 (3 में से)

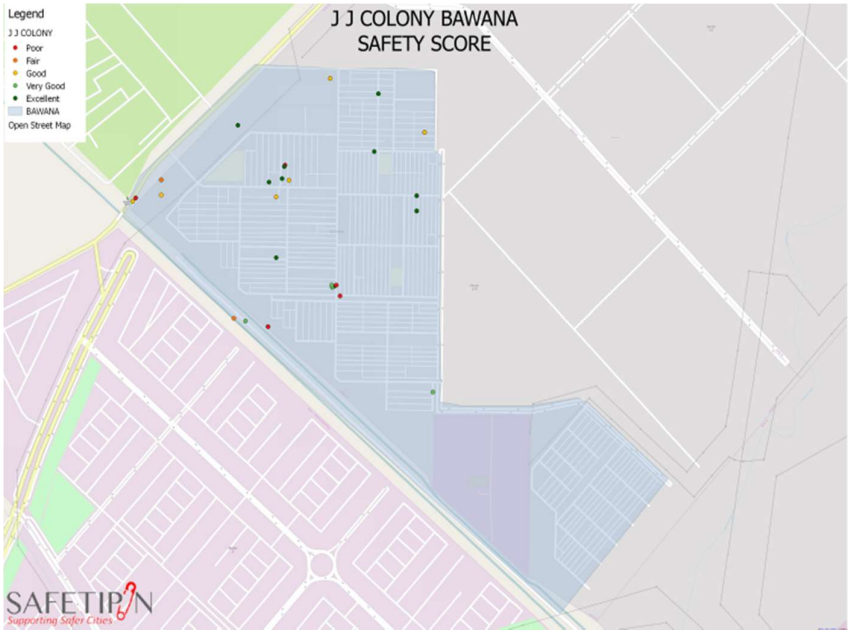

आडिट रूटः

बवाना	सी/ब्लाक बस्ती विकास कैन्द्र से डी ब्लॉक शौचालय से एच /ब्लाक से ई ब्लॉक	जे,के,एल,एम ब्लाक चौक से पावर हाऊस से कच्ची बस्ती से एफ ब्लाक शौचालय से झंडा चौक की तरफ जाने वाली बाजार वाली मुख्य सड़क
	बवाना जे जे कालोनी ग्रामिण सेवा बस स्टेंड से झंडा चौक	बस स्टॉप ए ब्लॉक से सब्जी मंडी तक

सेफ्टी ऑडिट कसौटियां

नक्शे 3 में दिखायी दे रहे गहरे सलेटी, हल्के सलेटी और सफेद निशान ऊपर उल्लिखित चार कसौटियों के प्रसंग में खराब, औसत और अच्छे स्कोर के द्योतक हैं। सुरक्षा के अहसास पर सबसे ज्यादा असर डालने वाले कारकों का विश्लेषण करने के लिए सेफ्टी ऑडिट के प्रत्येक मानक पर आधारित जो स्कोर आए हैं उनका ऑडिटर्स (जांच टीम) के अपने 'सुरक्षाबोध' के साथ मिलान किया गया।

बवाना ऑडिटः सांख्यिकीय आंकडेः

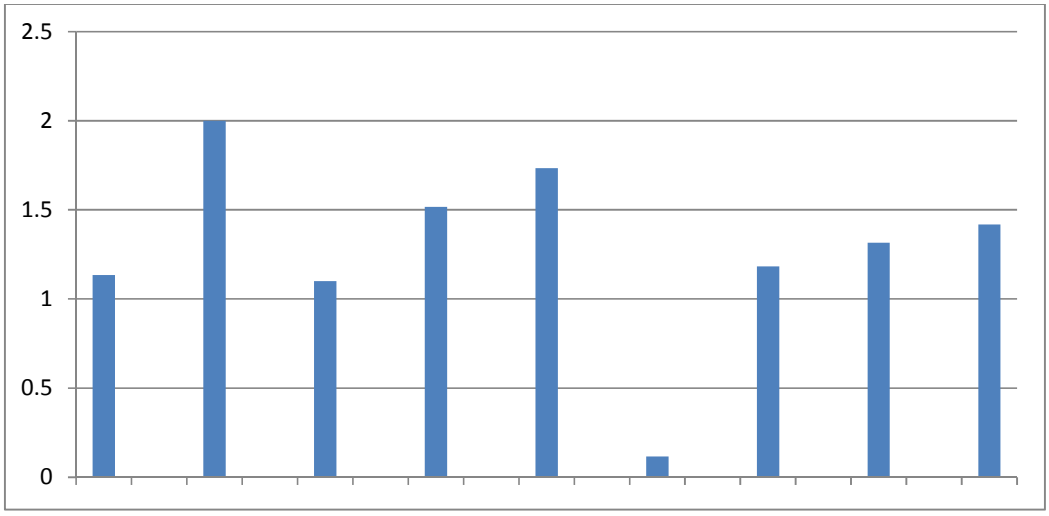

ग्राफ 7 : बवाना में सुरक्षा मानकों का औसत स्कोर कुल औसत स्कोर 2.85 (3 में से)

क्षेत्र	औसत दर	विवरण
लाईट	1.1	जांच में निकला कि सिर्फ 11 प्रतिशत क्षेत्र में अच्छी तरह से उजाला है। और 34 प्रतिशत में या तो लाईट नहीं थी या फिर कम लाईट थी।
खुलापन	2	2 प्रतिशत से कम क्षेत्र में पूरी तरह से खुलापन था जबकि 71 प्रतिशत में थोड़ा खुलापन था।
दृश्यता	1.1	दृश्यता (सड़क पर नज़र /अनौपचारिक निगरानी): 73 प्रतिशत आडिट किए गए रूट में थोड़ी बहुत अनौपचारिक निगरानी थी। किसी भी रास्ते में अच्छी दृश्यता नहीं पाई गई।
भीड	1.5	43 प्रतिशत आडिट किए गए रास्तों में कुछ हद तक भीड़ थी और 15 प्रतिशत ईलाकों में पूरी तरह से भीड़ ग्रस्त वाले थे।
सुरक्षा	1.6	51 प्रतिशत आडिट किए गए रास्तों में सिर्फ 11 प्रतिशत इलाके सीमित सुरक्षित थे।
रास्ता	0.1	88 प्रतिशत आडिट किए गए रास्तों में कोई चलने के लिए रास्ते नहीं थे और कोई रास्ते/फूटपाथ नहीं थे।
सार्वजनिक परिवहन	1.1	40 प्रतिशत आडिट किए गए रास्तों में परिवहन मौजूद नहीं थे।
जेंडर प्रयोग	1.2	जेंडर यूजेज़: सिर्फ 5 प्रतिशत रास्तों को भिन्न लोग प्रयोग कर रहे थे।
अहसास	1.4	सिर्फ 10 प्रतिशत जगहों में ऑडिट टीम सहज थी।

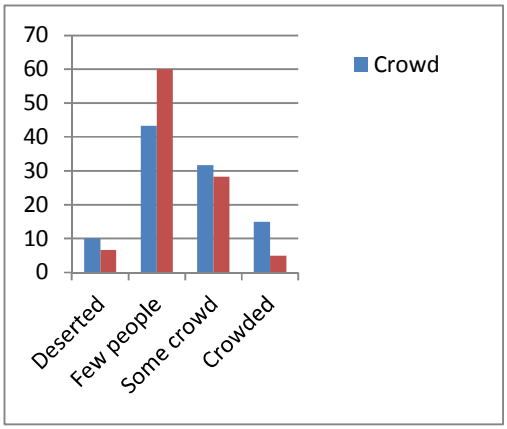

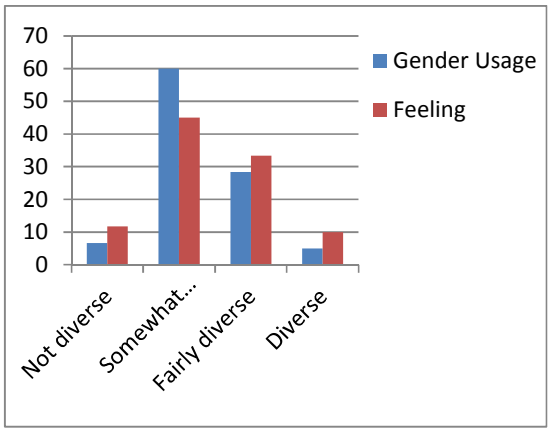

ग्राफ 8 बवाना में भीड़ और जेंडर प्रयोग के साथ रिश्ता और ग्रफ 9 जेंडर प्रयोग और अहसास के रिश्ते को दर्शाता है।

- 40 प्रतिशत से ज़्यादा आडिट किए गए बिंदुओं में थोड़ी भीड़ थी। जेंडर युजेज़ में 60 प्रतिशत इलाकों में कुछ हद तक भिन्नता के साथ प्रयोग किया जा रहा था। इससे यह भी संकेत मिलता है कि कम भीड भाड़ वाले इलाकों की तुलना में ज़्यादा भीड़ वाले ईलाकों में ज़्यादा भिन्न्ता है।
- जेंडर युज़ेज ग्रफ दर्शाता है कि **यहां पर सिर्फ 60 प्रतिशत स्थानों में थोड़ी भिन्नता है और ये 45 प्र**तिशत स्थानों को असहज स्थान बनाने में योगदान देता है। उपरोक्त दोनों ग्राफों की नज़दिकी तुलना करें तो ये दर्शाते हैं कि भीड़ वाले स्थानों में कम भिन्नता है। जो डरावने अहसास को बनाने में योगदान देते हैं।

ग्राफ 8 जेंडर युजेज़ का अहसास के साथ रिश्ते को दर्शाता है।

- यह ग्राफ बताता है कि 44 प्रतिशत स्थानों में कम भीड हैं और इन स्थानों में असहजता बहुत ज़्यादा हो सकती है।
- ये भी दर्शाता है कि सिर्फ 15 प्रतिशत भीड वाले स्थान थे और सिर्फ 10 प्रतिशत ऑडिट किए गए स्थानों में आडिट टीम को सहजता हुई।

ग्राफ 10 फूटपाथ/रास्ते और सार्वजनिक वाहनों की स्थिति को दर्शाता है।

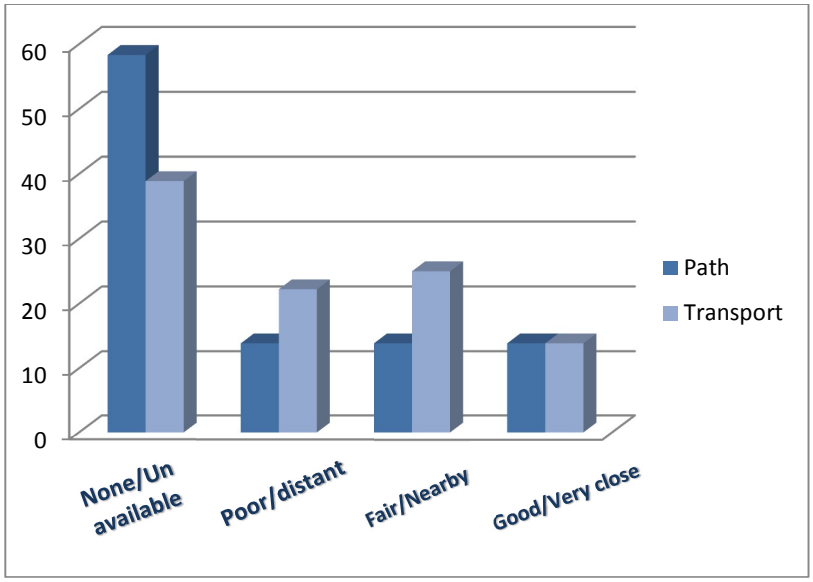

नहीं/अनुपलब्ध खराब/दूरी उचित/आसपास अच्छा/बहुत पास

ये संकेतक है कि 58 प्रतिशत ऑडिट किए स्थानों में चलने का रास्ता ना होने के अलावा 40 प्रतिशत स्थानों पर सार्वजनिक परिवहन सुविधा नहीं थी। इसीलिए कई स्थानों में रास्तों की कमी होने के कारण भी सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

ग्राफ 11 खुलेपन का अहसास के साथ संबंध

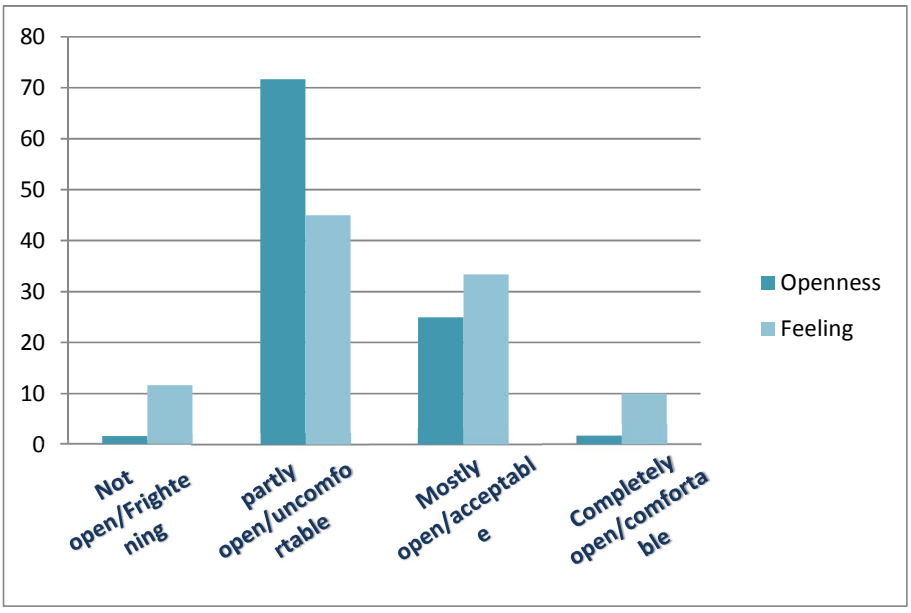

खुलापन नहीं /थोड़ा खुलापन/ ज़्यातर खुलापन/ पूरी तरह से खुलापन

ग्राफ 12 खुलेपन का अहसास के साथ संबंध को दर्शाता है।

- 72 प्रतिशत ऑडिट किए स्थानों में महिलाओं के लिए सिर्फ बवाना में ही कुछ खुलापन था और महिलाएं असहज थीं।
- सिर्फ 2 प्रतिशत ही खुली और सहज जगह पाई गई और बाकि में भी कुछ इलाकों में अधिक खुलापन था। परन्तु खुलापन नहीं और पूर्णता खुले ईलाक बहुत ही कम थे।

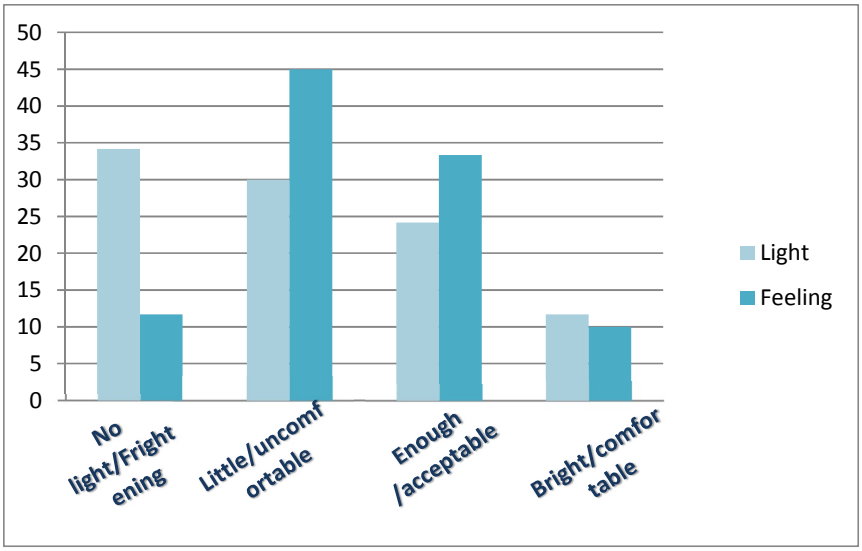

ग्रफ 12

आडिट किए गए सभी स्थानों में पूरी तरह से उजाला और सहज इलाके 10 प्रतिशत के करीब मिले।

45 प्रतिशत में मद्यम उजाला जिससे 30 प्रतिशत इलाकों में असहजता पाई गई।

हमने अनुभव किया कि पर्याप्त लाईट जगह को स्वीकार करने वाले अहसास के वातावरण को बड़ाती है।

माहौल

तीनों ऑडिट किए गए ईलाकों में सार्वजनिक स्थानों पर महिला हिंसा व सुरक्षा संबंधी माहौल को संबंधी जानकारी के लिए प्रत्यक्षदर्शियों(पुरुषों व महिलाओं) द्वारा दिये गए विवरण।

- मदनपुर खादर में एक ठेला चालक के अनुसार यहां पर हर तरह की हिंसा होती है। चोरी चकारी से लेकर हत्या तक शामिल हैं। इसके लिए कोई निश्चित समय तय नहीं है। मौखिक और विजुअल हिंसा की घटनाएं क्या उन्होंने देखी हैं के **जवाब में खादर में एक पुरूष ने कहा कि जब हल्ला होता है तो जरूर कुछ होता** है। इसे अगर मैंने देखा नहीं है तो ऐसा नहीं कि कोई घटना ही नहीं हुई होगी।
- यहां महिलाओं एवं पुरूषों ने पिछले एक साल के दौरान महिला विरोधी हिंसा की घटनाएं देखी और सुनी हैं।
- शाम के समय या दिन ढलने के बाद इस तरह की घटनाएं अमुमन होती हैं।
- मौखिक, विजुअल, शारीरिक हिंसा और पीछा करना (इसी क्रम में) सबसे आम समयाएं दिखायी पड़ते हैं।
- ऐसे स्थान जहां यौन हिंसा देखी गयी :
    - ✓ बाजार/ऑटो/बस स्टॉप तथा सार्वजनिक परिवहन साधन, स्कूल जाने व काम पर जाने वाले रास्ते में
- यौन हिंसा की सबसे ज्यादा घटनाएं सड़कों पर घटती हैं।
- लगभग एक चौथाई महिला प्रत्यक्षदर्शियों ने ऐसे अवसरों पर हस्तक्षेप किया या प्रतिक्रिया दी जबकि आधी से ज्यादा महिला उत्तरदाताओं को उनके परिवार वालों ने यौन हिंसा की स्थिति में कुछ न करने की हिदायत दी।

बदरपुर

- **बिलासपुर कैंप, मोलड़बंद, ताजपुर पहाड़ी बदरपुर, बवाना, मदनपुर खादर** में महिलाओं ने अपने साथ और अपने आंखों के सामने घटी यौन हिंसा की घटनाओं के अनुभव साझा किए।
- इसके अलावा भीड़ में महिलाओं और पुरुषों की एक जैसी उपस्थिति, सुरक्षाकर्मियों की प्रत्यक्ष उपस्थिति, भीड़भाड़ और सड़कों पर उजाले से सुरक्षा के अहसास पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। इसके बाद सार्वजनिक परिवहन, सड़क पर निगाह और इलाके का खुलापन भी इसे प्रभावित करता है।
- स्ट्रीट लाइटों, सिक्योरिटी बंदोबस्त, सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता की स्थिति में सुधार करने की सख्त जरूरत है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और पुरुषों की समान सहभागिता भी आवश्यक है। परन्तु ये सभी जगहों पर समान नहीं था।
- जैतपुर मोड़ पर पुलिस बुथ है पर यहा कोई पुलिसकर्मी नही था। बूथ रात आठ बजे बंद था।

- चारों ही जगह में मुख्य रोड पर पुलिस बूथ है परन्तु वहां पर कर्मचारी की मौजूदगी कम ही पाई जाती है।
- जैतपुर मोड़ बिलासपुर तक आने जाने के लिये यातायात का साधन के लिये 20 मिनट पैदल चलना पढ़ता है। या फिर अपना ऑटो करके जाना है तो 100/—रूपये ऑटो वाले मांगते हैं। शैयरिंग वाले बडी मशक्कत के बाद 50 रूपयें में मानते हैं। ना शयेरिंग औटो है ना बस ना रिक्शा कोई साधन नही है । अगर साधन हो तो यातायत की सुविधा हो जाये।

- बिलासपुर का सामूदायिक जगह टूटी फूटी हालत में है। वहां पर सुअरों अपनी ग्रहस्थी जमा रखी है और आस पास घूमते रहते हैं। यहां महिला ने बताया कि यहां पर हर तरह का अनैतिक काम होता है। बिलासपुर में बड़ा नाला असुरक्षित है।
- महिलाओं और बच्चों को जबरन उठाकर ले जाने की बात बवाना और बदरपुर में सुनाई दी।
- रेडी पटरी वाले के अनुसार बदरपुर में हरैसमेंट के मामले आज भी सामाने नहीं आते हैं। जबकि 100 से 20 लिखित होते हैं ।
- बस स्टॉप बदरपुर में किस स्थान का है के बारे में जानकारी नहीं है। यहां आने जाने वाले लोगों ने बताया कि बस स्टाप पर कोई नंबर या नाम नहीं है। लोगों को कनफयुजन होता है। बसस्टाप के पीछे शराब का ठेका है, यहां पुरूष ज्यादा है, और नशे किये हुएं हैं।
- **सिक्योरिटीः पुलिस गश्त** के बारे में चारों ही ईलाकों में बोला गया कि जरूरत पड़ने पर ही पुलिस आती है। कोई निश्चित समय में पुलिस गश्त नहीं लगती है।
- ताजपुर में एक महिला ने बताया कि ऑटो वाले महिला व लडकियों पर और ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं। बातों बातों में यौनिक कमेन्ट भी मारते हैं **आओ मेरे पे बैठो और समुदाय में कोई सुरक्षा गार्ड नही है।**
- जैतपुर मोड़ में फ्लाईओवर के पास सार्वजनीक कैमरा निगरानी का काम कर रहा है।

मदनपुर खादर में किये गए सेफ्टी ऑडिट के नतीजे

- मदनपुर खादर में रेडीवालें ने बताया इस चौक पर आय दिन लडकियों के साथ धटनायें होती रहती है। यहां ये देखते हैं कि जो कोई बोलेगा उसकी ज़िन्दगी खत्म है। लोगों ने डर के मारे बोलना छोड दिया है। क्योकि पुलिस को बताओ तो वो बतानेवाले को पुलिस ही डाटती है। दिन में यहा रेडी पर खुले में शराब पीते हैं। गांजा, नशा करते हैं। महिलाओं लड़कियों और छोटे छोटे बच्चों पर ज़्यादा असर पड़ता है। पुलिस की निगरानी में है। पर कुछ होता नही है। पास में पुलिस के होते हुए भी सबके लिए ये जगह असुरक्षित है। सड़क पर अनेक धटनाएँ भी होती

है। कोई कुछ कहता है। तो उसे वही मार डालते है। **दबंग लोगों की दबंगाई है।** हर जगह पर लड़के झूंड में खड़े दिखाई देते हैं और पुरूषों ताश खेलने के अडडे हर जगह विराजमान है। वो चाहे फिर बवाना बदरपुर हो फिर खादर या मोलड़बंद हो।

- **समुदाय भवन** : खादर में समुदाय भवन बन्द है। लेकिन समुदाय यानी गली के लोग वहा पर बैठते है। और देखरख करते हैं । केयर टेकर से समर्पक की जानकारी दरवाजे पर लगा रखी है साफ सफाई भी अच्छी ह । किसी को अन्दर नही आनें देते हैं । बाहार की देख भल हम करते है। समुदाय भवन वाली गली में ना तो खम्बें है, ना ही गली में लाईट है। लेकिन लोगों ने अपने घरों की लाईट बहार लगा रखी है क्योंकि पार्क के दोनों तरफ ए–1 कें बीच वाले पार्क के लियें लोगो से बात चीत की कि इस पार्क के वारे में आप का क्या सुक्षाव है । अगर यह पार्क की ब्यवस्था ठीक हो तो लोग पार्क में आना जाना कर सकते है।
- ताजपुर पहाड़ी और बिलासपुर के लोगों ने खाईयों को कुड़ेदान का विकल्प बनाया हुआ है और बवाना और मदनपुर खादर में जनसंख्या के हिसाब से बहुत ही कम है।
- **सामूदायिक शौचालय** के बारे में बवाना, खादर में महिलाओं ने कहा की बन्द होने के बाद रात को अगर पेट खराब होता है तो नहर या पुश्ते पर खुले में जाते हैं। घर में से किसी ना किसी को साथ लेकर जाते है। अकेल नही जाते क्योकि अकेले में डर होता है।
- सामूदायिक शौचालयों की चारों जगह में एक समस्या हर जगह समान नज़र आई वो ये कि शौचालयों का इस्तेमाल बहुत ही मज़बूर लोग अपनी जान जोखिम में डाल कर करते हैं। क्योंकि शौचालय या तो बंद पड़ें हैं या फिर लचर हालत में हैं। चारों ही जगह में लोग खुले में शौच का प्रयोग करते हैं।
- **कूड़ेदान बिलासपुर कैंप में तो है ही नहीं और** मदनपुर खादर में एक कूड़ेदान जो की फेज़ 3 में है की जगह को धार्मिक कार्य हेतू इस्तेमाल किया जा रहा है।
- **लाईट : चारों ही जगहों में** कुछ इलाके ऐसे हैं जहां लाईट की व्यवस्था हुई है। परन्तु उनसे राहगीरों तक रोशनी कम ही पहुंच पाती है। कारण या तो पोल टूटी हुई हालत में या फिर पोल इतने उंचे हैं कि अपने तक ही लाईट देने में सीमित हैं या फिर लाईट काम ही नहीं कर रही हैं। लाईट के एक पोल से दूसरे पोल की दूरी लाईट की व्यवस्था को देखते हुए नहीं है।
- रोड सबसे असुरक्षित दिखायी पड़ती है। ताजपुर पहाड़ी, बिलासपुर कैंप, बवाना और मदनपुर खादर की अदरूनी सार्वजनिक जगहों में से बिलासपुर कैंप व ताजपुर पहाड़ी की अंदरूनी गलियों में अंधेरे में भी चहल पहल थी। परन्तु बवाना की कुछ अंदरूनी गलियों और बाहरी सड़कों पर सन्नाटा दिखाई दिया।

संसाधनों, कानूनों व नीतियों के बारे में जानकारी

- काफी पुरुष जानकारी है कि यौन हमला अथवा बलात्कार, हिंसक शारीरिक हमला और छूना, भींचना/दबाना आदि यौन हिंसाएं भी कानून के तहत एक अपराध हैं।

इस बारे में महिला उत्तरदाताओं की जानकारियों का स्तर ठीक ठाक लगा। महिलाएं ही यह जानती हैं कि मौखिक उत्पीड़न भी एक अपराध है।

- महिलाओं ने बताया कि वे यह जानती हैं कि यौन उत्पीड़न/बलात्कार की स्थिति में वे पुलिस से मदद ले सकती हैं; और हेल्पलाइन के बारे में जानकारी है। परन्तु उन्हें नंबर याद नहीं है। इसीलिए वो 100 को ही जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करती हैं।
- इन संसाधनों तक पहुंच बवाना के मुकाबले बदरपुर एवं मदनपुर खादर में ज्यादा महिलाओं के पास थी।
- कुछ महिलाओं ने यौन हिंसा की स्थिति में ऐसे कुछ एनजीओ/सीबीओ (समुदाय आधारित संगठनों) का नाम बताया जिनसे मदद ली जा सकती है।
- ज्यादातर महिला और पुरुष इस बात पर सहमत थे कि यौन हिंसा की घटनाओं के बारे में पुलिस को सूचित किया जाना चाहिए। पर वे ये भी मानते हैं कि होगा कुछ नहीं।
- ज्यादातर महिलाओं एवं पुरुषों का मानना था कि यौन उत्पीड़न/हिंसा को खत्म करना समुदाय और सरकार की जिम्मेदारी है। कुछ महिलाएं एवं पुरूष ये भी मानते हैं कि इसके लिए औरतें खुद भी जिम्मेदार हैं।
- लेागों को लगता था कि सरकार यौन उत्पीड़न/एसॉल्ट की समस्या को रोकने के लिए कुछ खास नहीं कर रही है।

गतिशीलता/आवागमन

- 18–24 वर्ष आयु वर्ग के लोग सबसे ज्यादा गतिशील दिखायी दिएं; उनमें से ज्यादातर विद्यार्थी हैं।
- काम की वजह से महिला पुरूष इन ऑडिट रूटों पर आवागमन करते हैं।
- पैदल चलने वाले लोग दिखाई दिए और अपने काम पर जाने के लिए; गैर–साझा ऑटो रिक्शा परिवहन का सबसे ज्यादा प्रयुक्त साधन है।
- **ज्यादातर महिलाएं 1 से डेढ़ घंटा का समय अपने कार्यस्थल पर पहुंच पहुंचने में लगता हैं। अधिकतर महिलाएं व लड़कियां तीनों ईलाकों में दिन के उजाले में ही यात्रा करती हैं।**

महिलाओं के उत्पीड़न व सुरक्षा के विषय में लोगों की राय और मुख्य कारक

- अधिकतर महिलाएं और कुछ पुरूष अपने शहर को असुरक्षित या बेहद असुरक्षित मानते हैं।
- अन्य सुरक्षा संबंधी जोखिमों में यौन उत्पीड़न, नशा, व शराब का मुददे् के बारे में लोगों ने बांटा।
- खराब लाइटिंग, सार्वजनिक स्थानों पर भीड़भाड़ और खुले स्थानों का खराब रखरखाव डर के मुख्य स्रोत हैं।

- शराब के व्यवसाय से जुड़े या शराब पीने वाले पुरुष और समाज विरोधी तत्व सबसे बड़ा खतरा दिखायी देते हैं। ऐसा महिलाओं कहने वालों में महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी और तीनों ही ईलाकों में इस मुददे को जोर शोर से बोला जा रहा है।
- महिलाएं, खासतौर से 18–24 वर्ष की महिलाएं सबसे ज्यादा संवेदनशील स्थिति में दिखायी देती हैं।
- महिलाओं के पहनावे को समस्या का एक स्रोत बताया गया।

सार्वजनिक स्थानों पर यौन उत्पीड़न के बारे में महिलाओं /सरवाईवर्स के अनुभव

- मौखिक और विजुअल किस्म का उत्पीड़न सबसे ज्यादा होता है और ऐसी घटनाएं अधिकांशतः दिन या शाम में घटती हैं।
- सार्वजनिक वाहन, बाजार, सार्वजनिक परिवहन, स्कूल/कॉलेज तथा सड़कों के नुक्कड़ सबसे ज्यादा असुरक्षित दिखायी पड़ते हैं।
- यौन उत्पीड़न की सबसे ज्यादा घटनाओं में लड़कों–पुरुषों का हाथ होता है। हमें यहां से रोज़ आना जाना होता है कई बार हमें नज़र अंदाज़ करना पड़ता है। क्योंकि आवाज़ उठाने पर ज़िदगी खत्म होने की संभावाना बनी रहती है।
- यौन हिंसा की शिकायत पुलिस के पास क्यों नहीं जातीं, इसकी वजहें –

  ✓ मामला ज्यादा गंभीर नहीं था
  ✓ मामला वहीं रफा–दफा कर दिया गया
  ✓ पुलिस शिकायत पर आई जरूर पर पुलिस ने यौन उत्पीड़न करने वाले को भी खबर कर दी और शिकायतकर्ता के बारे में पूरी जानकारी दे दी। अब वो मेरे पीछे औजार लेकर घूमता रहता है। मुझे डर बना रहता है। एक पीड़ित महिला खादर से

- पुलिस के बारे में नकारात्मक धारणाएं अभी भी बनी हुई हैं।
- यौन हिंसा के बारे में अपने माता–पिता को नहीं बताया क्योंकि इससे उन्हें अपनी आवाजाही पर पाबंदी लगने का डर था।

सुरक्षा जांच के लिए रुट

स्थान	उजाले में	अंधेरे में
बदरपुर : मोलाड़बंद	बिलासपुर कैंप से बिलासपुर कैम्प शौचालय से मदरसा से बी, डीए ए ब्लॉक से मोलड़बंद गांव से संपेरा बस्ती से पुलिस बीट तक	
बदरपुर		बस स्टेंड से ताजपुर पहाड़ी एस ब्लॉक से बी ब्लॉक से सी ब्लॉक से बुद्धविहार से धर्मवीर मार्केट
बवाना	सी/ब्लाक बस्ती विकास कैन्द्र से डी ब्लॉक शौचालय से एच /ब्लाक से ई ब्लॉक	जे,के,एल,एम ब्लाक चौक से पावर हाऊस से कच्ची बस्ती से एफ ब्लाक शौचालय से झंडा चौक की तरफ जाने वाली बाजार वाली मुख्य सड़क
	बवाना जे जे कालोनी ग्रामिण सेवा बस स्टेंड से झंडा चौक	बस स्टॉप ए ब्लॉक से सब्जी मंडी तक
मदनपुर खादर	ए 1 ब्लॉक से बी1 वाली गली	ए 2 स्कूल से जलेबी चौक तक
	फेज़ थ्री श्रीराम चौक से नुडल्स एक्सप्रेस	नुडल्स एक्सप्रेस से फेज़ थ्री पुश्ता तक

मुख्य सिफारिशें इलाकों में सेफ्टी ऑडिट के नतीजों के आधार पर

मदनपुर खादर व बवाना से महिलाएं फैक्टरी में काम के लिए आती जाती हैं। फलस्वरूप, इन ईलाकों में औद्योगिक केंद्र तो बन गये हैं। परन्तु महिलाओं की रास्तों पर पहुंच बनाने के लिए उपाय नहीं खोजे गए हैं। इसके चलते इन इलाकों की एक अच्छी–खासी आबादी बेहतर रोजगार अवसरों की संभावना को देखते हुए अपने घरों से काम के स्थान के लिए अभी भी दूर दूर तक सफर करती है।

इन स्थानों में विभिन्न वर्गों व पृष्ठभूमियों के बहुत सारे नागरिकों तक पहुंचने के लिए इस शोध अध्ययन में चार डेटा संग्रह पद्धतियों का प्रयोग किया गया और फलस्वरूप इस अध्ययन से सार्वजनिक स्थानों पर यौन उत्पीड़न तथा महिलाओं व लड़कियों के साथ होने वाली हिंसा के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा हुई हैं। इन जानकारियों से इन मुद्दों पर नागरिकों की सोच और उपलब्ध सेवाओं व बुनियादी ढांचे में दिखायी पड़ने वाली कमियों व खामियों का पता चलता है। इस अध्ययन से की जो तस्वीर उभरती है उसमें सार्वजनिक परिवहन, दिखायी पड़ने वाली (सार्वजनिक व निजी) सुरक्षा व्यवस्था, स्ट्रीट लाइटिंग और पुलिस की मौजूदगी के लिहाज से सुरक्षा के कई मुद्दे सामने आते हैं। राज्य में बहुत सारे सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल केवल पुरुषों तक ही सीमित है जिसकी वजह से वे महिलाओं और बच्चों के लिए असुरक्षित बन जाते हैं और अगर महिलाओं व लड़कियों को उनका इस्तेमाल करना पड़ता है तो उनमें बेचैनी/डर का अहसास पैदा होता है।

नतीजों का एक मुख्य आयाम ये था कि इस तरह की हिंसा को लगभग सामान्य मान लिया गया है : लोगों में यह अहसास घर कर गया है कि औरतों के साथ होने वाला यौन उत्पीड़न/हिंसा तो एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते और लिहाजा इसको बर्दाश्त किया ही जाता है। दुर्भाग्यवश, इसे सामान्य बात मानने की सोच कुछ महिलाओं व लड़कियों के दिमाग में भी घर कर चुकी है और उन्होंने अपने साथ सार्वजनिक स्थानों पर होने वाली हिंसा को स्थानीय संस्कृति का हिस्सा मान लिया है। जैसा कि इस अध्ययन से उजागर होता है, उत्पीड़न या हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज न उठाने, इस बारे में घरवालों को न बताने या पुलिस के पास शिकायत न करने के उनके फैसले इसी बात को दर्शाते हैं कि उन्होंने इस स्थिति को काफी हद तक स्वीकार कर लिया है।

इस अध्ययन से विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने के लिए कुछ ठोस सुझाव इकटठा करने में भी मदद मिली है। नीचे दी गयी सिफारिशें इन चारों शोध पद्धतियों से निकले निष्कर्षों व नतीजों पर आधारित हैं।

- **सार्वजनिक स्थानों की बनावट और नगर नियोजन**

सार्वजनिक सुरक्षा की दिशा में बुनियादी कदम शहरी नियोजन और रूपरेखा तय करने के समय उठाये जाते हैं। इस चरण में सार्वजनिक स्थानों की रूपरेखा और योजना बनाते हुए महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और विकलांगों यानी सभी की जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

इस मामले में कुछ स्पष्ट सिफारिशें सामने आयी हैं। सेफ्टी ऑडिट से पता चलता है कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां महिला ऑडिटर्स को पहुंचने या यहां–वहां जाने में भी परेशानी महसूस हुई। इसका मतलब यह है कि सभी सार्वजनिक स्थानों पर आसानी से पहुंचा जा सके, इस बात पर गौर किया जाना चाहिए। ई रिक्शा, शेयरिंग आटो, व ग्रामिण ऑटो रिक्शा एक रचनात्मक योजना है मगर इन ऑटो और ई रिक्शाओं को चलाने वालों के लिए पार्किंग और स्टेंड की जगह ढूंढने में खासी मशक्कत करनी पड़ती है। उनके लिए शौचालयों का न होना भी एक समस्या है। ऑटो रिक्शाओं के लिए निश्चित पार्किंग स्थलों और स्टैंड की सही व्यवस्था के अलावा वहां पर शौचालयों का बंदोबस्त करने से ड्राइवरों और उनकी सवारियों को आसानी हो सकती है। **इसके अलावा ऑटो स्टैंड और रिक्शा और ई रिक्शों के लिए व्यस्थित पार्किंग व स्टैंड इस तरह से बनने चाहिए जिससे ट्रेफिक कम हो ना कि ना कि अस्त व्यस्त खड़े रहने से ट्रेफिक लगने का कारण बनें। इन व्यवस्थित स्टेंड को बनाने की सख्त जरूरत है। जिससे ट्रेफिक को व्यवस्थित किया जा सके। कुछ उत्तरदाताओं ने थोड़े–थोड़े फासले पर सुलभ शौचालयों के लिए जगह आवंटित करने का सुझाव दिया। इसके अलावा, यह भी सुझाव दिया गया कि अगर सड़कें चौड़ी हों और/या मौजूदा सड़कों को चौड़ा किया जाए तो यातायात को ज्यादा अच्छी तरह संभाला जा सकता है। मगर, इससे फेरीवालों के लिए उपलब्ध जगह कम हो जाएगी** जबकि वे इस तरह की वारदातों पर नजर रखने में एक अहम भूमिका अदा करते हैं। एक और सिफारिश यह थी कि बहुत सारे स्थानों पर पुलिस बीट बॉक्स कायम किये जाएं और पुलिस गश्त को निरंतर और व्यवस्थित किया जाना चाहिए।

- **शहरी बुनियादी ढांचे की उपलब्धता और प्रबंधन**

अगर स्तरीय सार्वजनिक सुविधाओं की स्थापना पहला कदम है तो उनका रखरखाव भी एक जरूरी दूसरा कदम बनता है। ऑडिट से पता चला कि शहर में उपलब्ध सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में जो खामियां पैदा हो रही हैं वे उत्तरदाताओं के भीतर सुरक्षा के अहसास को कितने गहरे स्तर पर प्रभावित करती हैं।

ये सिफारिशें शहरी बुनियादी ढांचे में इन्हीं कमियों और खामियों पर आधारित हैं। उदाहरण के लिए बवाना और खादर की पुनवासित बस्तियों में स्ट्रीट लाइट्स के खम्भे तो लगे हैं मगर उन पर बत्तियां नहीं जलतीं। बहुत सारे/सारी उत्तरदाताओं ने बताया कि उनकी नजर में महिला विरोधी अपराधों और सुरक्षा के अहसास पर सड़कों, नुक्कड़ों और रास्तों पर अंधेरे से काफी असर पड़ता है। आमतौर पर अंधेरे स्थानों पर पुरुष ही ज्यादा जमा होते हैं और इस वजह से महिलाएं व लड़कियां वहां नहीं जा पातीं। उत्तरदाताओं ने जो सुझाव दिये उनमें स्ट्रीट लाइटिंग में सुधार को बहुत ऊंची प्राथमिकता दी गयी। सेक्स वर्कर्स, छात्राओं तथा वेतनभोगी रोजगार करने वाली महिलाओं ने खस्ताहाल सार्वजनिक शौचालयों की समस्या भी गिनायी।

- **सार्वजनिक परिवहन और संबंधित सेवाएं**

इस बारे में महत्वपूर्ण साक्ष्य सामने आए हैं कि बवाना और मदनपुर खादर, बिलासपुर कैंप, ताजपुर पहाड़ी में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था यौन उत्पीड़न का एक बड़ा कारण बन गयी है। बवाना में बस स्टेंड अंधराग्रस्त और सूनसान जगह पर है और मदनपुर खादर में पहले श्रीराम चौक से दो बसें आया करती थीं। उनकी सर्विस बहुत कम थी। परन्तु पिछले

काफी सालों से ये बसें नदारद हो गई हैं। बहुत सारी लड़कियां और महिलाएं सार्वजनिक बसों और ऑटो रिक्शाओं (जिनमें साझा रिक्शा भी शामिल हैं) का ही इस्तेमाल करती हैं। इसलिए इस सेवा की स्थिति में भारी सुधार की जरूरत है।

कुछ सार्वजनिक परिवहन साधनों की पहुंच भी फैलायी जानी चाहिए। शहर के कई भीतरी इलाके और आसपास के ज्यादातर इलाके अभी भी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था से जुड़े हुए नहीं हैं। उदाहरण के लिए, जहां मजदूर वर्ग की महिलाओं या छात्राओं की संख्या ज्यादा है, उन इलाकों को बस मार्गों से जोड़ा जाना चाहिए । एक सुझाव यह भी आया कि जो कामकाजी महिलाएं काम के लिए एवं स्कूली छात्राएं रोजाना सुबह सुबह ठूंस ठूंस कर ग्रामिण सेवा बसों में बैठ कर अपने काम के स्थान पर आती हैं उनकी यातायात संबंधी आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक परिवहन साधनों की उपलब्धता के साथ–साथ यहां इन सेवाओं को भी और व्यवस्थित व नियमित रूप दिया जाना चाहिए।

बस ड्राइवरों, कंडक्टरों और ऑटो ड्राइवरों, ई रिक्शा चालकों को जेंडर संवेदीकरण प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और उनके व्यवहार पर लगातार नज़र रखी जानी चाहिए। यह फौरी जरूरत का सवाल है। ड्राइवरों और कंडक्टरों को काम पर रखने या उनको लाइसेंस देने से पहले उनकी पृष्ठभूमि की जांच की जानी चाहिए, ड्राइवरों व कंडक्टरों की जवाबदेही तय करने के लिए एक लिखित आचार संहिता तैयार की जानी चाहिए, प्रत्येक सार्वजनिक बस में एक महिला कंडक्टर होनी चाहिए, बसों में हेल्पलाइन नंबर लिखे जाने चाहिए और महिला ऑटो ड्राइवरों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए – ये कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें थीं।

- **पुलिस बंदोबस्त**

आम धारणा यही है कि संकट की स्थिति में सबसे पहले पुलिस से ही मदद ली जानी चाहिए मगर तीनों ही जगहों में महिलाएं और लड़कियां पुलिस से संपर्क करने में कतराती हैं। पूछने पर महिलाओं ने बताया कि पुलिस हमारी नहीं सुनती है। पुलिस विभाग, जिसमें महिला पुलिस कर्मी भी शामिल हैं, चाहे महिला पुलिसकर्मी ही सही पर नागरिकों का भरोसा व विश्वास उन्हें ही जीतना होगा। जब तक पुलिसकर्मियों को पितृसत्ता और उसके प्रत्यक्ष व परोक्ष पहलुओं के बारे में तथा एकल महिलाओं जैसे खास समूहों पर ध्यान देने की जरूरत के प्रति संवेदनशलील नहीं बनाया जाएगा तब तक पुलिस संभवतः महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न व हिंसा को कारगर ढंग से संबोधित नहीं कर पाएगी। हिंसा की सर्वाईवर्स के पास सबसे पहले आमतौर पर ट्रैफिक पुलिस ही पहुंचती है इसलिए इन पुलिस कर्मियों को खास तौर से जेंडर संवेदीकरण कार्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए। ऐसे सभी प्रशिक्षणों में आपराधिक कानून में किये गए नवीनतम संशोधनों का भी समावेश किया जाना चाहिए। बेहतर पुलिस बंदोबस्त, पुलिस कर्मियों, खासतौर से बीट कॉन्स्टेबल बीट बॉक्स और महिला कर्मियों की संख्या में इजाफे, बस स्टाप व ऑटो स्टैंड जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना और महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा गश्त आदि के बारे में भी सुझाव दिये गए। पुलिस कर्मियों को सेक्स वर्कर्स के बारे में अपने रवैये पर भी फिर से गौर करना चाहिए क्योंकि यह महिलाओं व लड़कियों का

सबसे हाशियाई समूह है। महिला थानों और पीसीआर वैनों की नियमित गश्त के माध्यम से पुलिस के साथ और ज्यादा अच्छे तालमेल के साथ काम करना जरूरी है।

डेटा से पता चलता है कि जिन इलाकों का काफी इस्तेमाल किया जाता है और जहां काफी चहल–पहल रहती है वहां भी सुरक्षा की स्थिति खस्ता है। दिखायी पड़ने वाली सुरक्षा व्यवस्था महिलाओं में भरोसा पैदा करती है, खासतौर से ऐसी असंख्य महिलाओं में जोकि काम से पैदल घर लौटती हैं, जैसे कामकाजी महिला मजदूर और घरेलू महिला कामगार आदि।

महिला थानों की स्थापना से निश्चय ही महिलाओं को ज्यादा तेजी से मदद पहुंचायी जा सकती है। महिला थाना अपने आसपास के इलाकों की महिलाओं को भी मदद दे सकता है। महिला थानों के बारे में एक सुझाव यह था कि उनके लिए और ज्यादा महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाए, दौरों के लिए एक पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया जाए। जाए। महिला पुलिस कर्मियों की रात्री सेवाओं के लिए वाहन अतिआवशयक है।

- **पीड़ितों के लिए मदद, कानून और इंसाफ**

यौन हिंसा की सर्वाइवर्स को भावनात्मक काउंसलिंग से लेकर सामाजिक, कानूनी और आर्थिक मदद तक कई तरह की सहायता की जरूरत होती है। ये सहायता सेवाएं उनके लिए हर वक्त उपलब्ध होनी चाहिए। हालांकि डी एल एस ए जैसी कुछ सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। ये सेवाएं डीएसपी कार्यालय में स्थित महिला कोषांग, दिल्ली महिला आयोग, विधि सहायता सोसायटियों (डिस्ट्रिक्ट लीगल एड सोसायटीज़) तथा महिला हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही हैं।

- **शिक्षा**

जेंडर के बारे में हमारी सोच और तौर–तरीके तथा लड़कों व लड़कियों के बारे में क्या सही है और क्या गलत है, ये भावनाएं हमारी जिंदगी में बहुत जल्दी ही जड़ें जमा लेती हैं इसलिए इन से छुटकारा पाने और एक रूपांतरकारी कार्रवाई की दिशा में बढ़ने की चेष्टाएं भी जल्दी से जल्दी शुरू की जानी चाहिए। पाठ्यचर्या में यौन उत्पीड़न और हिंसा के खिलाफ अध्यायों का समावेश करना एक बढ़िया शुरुआती प्रयास हो सकती है मगर यह पर्याप्त प्रयास नहीं है। इन सबकों व अध्यायों के साथ साथ जेंडर की अवधारणा और पितृसत्ता के बारे में समझदारी विकसित करने पर केंद्रित सत्रों का भी आयोजन किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में विद्याथी खुद अपनी जिंदगियों में भी जेंडर की उपस्थिति और भूमिका को पहचानने में सक्षम हो पाएंगे/पाएंगी। स्कूलों और कॉलेजों में छात्र–छात्राओं के लिए तथा अध्यापकों के लिए महिला सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियमित रूप से आयोजन किया जाना चाहिए। जैसा कि इस शोध से जाहिर होता है, बहुत सारी छात्राओं ने बताया कि यौन हिंसा की वारदातों में इजाफ के फलस्वरूप उनकी आजादी और आवाजाही पर पहले से ज्यादा पाबंदियां लगा दी गयी हैं और उन पर ज्यादा पहरा रखा जाने लगा है। ऐसी व्यापक चर्चाओं में औरतों की 'इज्जत' और बदनामी/कलंक जैसी धारणाओं पर खुलकर चर्चा की जानी चाहिए। अध्यापकों और अभिभावकों/माता–पिता को भी महिलाओं की आजादी और अपराधों के बीच सही विकल्प

चुनने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए। छात्र–छात्राओं, अभिभावकों और अध्यापकों को लेकर स्कूलों में यौन उत्पीड़न विरोधी समितियों का गठन इस अध्ययन की एक और मुख्य सिफारिश थी।

- **सूचना प्रौद्योगिकी**

पिछले सालों के दौरान जो तकनीकी बदलाव आए हैं और जिन्होंने हमारे जीवन को पहले से ज्यादा सरल और तीव्र कर दिया है, उनसे सार्वजनिक सुरक्षा की स्थिति पर भी भारी असर पड़ा है। खासतौर से अब सार्वजनिक सुरक्षा की स्थिति को मापना पहले से आसान और तेज हो गया है, इसके लिए अपनायी गयी प्रक्रियाएं ज्यादा सटीक, परिष्कृत, पारदर्शी और ज्यादा लोकतांत्रिक हैं। अब मोबाइल फोन आधारित सेफ्टीपिन एवं दिल्ली पुलिस द्वारा चलित हिम्मत ऐसे आपातकालिक ऐप उपलब्ध हैं जिनके जरिए महिलाएं मदद के लिए फौरन संदेश भेज सकती हैं। ऐसे स्मार्ट फोन भी मौजूद हैं जो शहरों के व्यापक सेफ्टी ऑडिट में मदद दे सकते हैं। सरकारी विभागों को सार्वजनिक सुरक्षा से संबंधित अपने दैनिक कामों में ऐसे सभी साधनों को शामिल करना चाहिए। उदाहरण के लिए, इनकी मदद से वे खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट्स की जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, सार्वजनिक सेवाओं के बारे में लोगों का फीडबैक ले सकते हैं। दिल्ली और भारत भर के कई ईलाकों में सेफ्टी पिन ऐप का प्रयोग करते हुए एक शहरव्यापी ऑडिट किया गया है। सेफ्टी पिन एक मोबाइल फोन आधारित सेफ्टी ऑडिट ऐप है जिसका नागरिक समूहों, स्थानीय शासकीय निकायों, निजी कंपनियों और पुलिस विभागों द्वारा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। चूंकि महिलाओं की अपेक्षा यूवा ज़्यादा फोन की तकनिकियों से साक्षर है। ऐसी स्थिति में ज्यादातर सुरक्षा मानकों के मामले में प्रायः औसत से नीचे पायी गयी है। इसलिए दिल्ली शहर की सभी बस्तियों में इस ऐप की मदद से एक विस्तृत सेफ्टी ऑडिट स्थानिय लोगों द्वारा, स्थानिय सेवा मुहैया कराने वाले सरकारी व गैर सरकारी हितधारकों द्वारा सुरक्षा आडिट करके मुख्य समस्याओं की पहचान की जा सकता है।

- **जनजागृति और संवेदीकरण**

सुरक्षित सार्वजनिक स्थानों की रचना और रखरखाव का सबसे प्रभावी तरीका ये है कि जनता में जागरूकता पैदा की जाए। महिलाओं व लड़कियों का जिस तरह बड़े पैमाने पर वस्तुकरण किया जा रहा है और जिस तरह उन्हें यौन उपभोग की साधन के रूप में पेश किया जा रहा है, उनके साथ जिस तरह का अपमानजनक व्यवहार किया जाता है, उसको देखते हुए समाज की सोच में एक बुनियादी बदलाव ही किसी ठोस और दीर्घकालिक बदलाव का आश्वासन दे सकता है। मिसाल के तौर पर, कुछ महिलाओं और ज्यादातर पुरुषों ने औरतों के कपड़ों, मेकअप, चाल–ढाल और/या शरीर मुद्राओं आदि का हवाला देते हुए औरतों के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न और हिंसा को सही ठहराने का भी प्रयास किया। बहुत सारी उत्तरदाताओं का कहना था कि मर्दों की जवाबी कार्रवाई के डर से वे यौन उत्पीड़न को चुपचाप बर्दाश्त कर जाती हैं। गुलाबी ऑटो रिक्शा ड्राइवरों को पुरुष ऑटो रिक्शा ड्राइवरों के गुस्से का सामना करना पड़ता है। वे उनका खुलकर मजाक उड़ाते हैं। इससे पता चलता है कि महिलाओं की पहचान और स्वायत्तता के बारे में हमारी समझदारी में कितना गहरा सामाजिक–सांस्कृतिक बदलाव जरूरी है। इसके लिए सिर्फ लड़कों और पुरुषों के लिए ही नहीं बल्कि लड़कियों व महिलाओं के लिए भी नियमित

सार्वजनिक अभियान चलाए जाने चाहिए। उनमें बूढ़ों और जवानों, आम जनता और सत्ता के पदों पर बैठे सभी प्रकार के स्त्री–पुरुषों को शामिल किया जाना चाहिए। ये अभियान और सत्र केवल महिला सुरक्षा की चिंताओं तक ही सीमित नहीं होने चाहिए; उनमें मानवाधिकारों और कानूनों के बारे में भी जानकारियां दी जानी चाहिए। संवेदीकरण के प्रति एक व्यापक रवैया अपनाया जाना चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं के मूक दर्शकों को भी संबोधित किया जा सके और सामुदायिक हस्तक्षेप या उसके अभाव पर, परिवार की भूमिका, सहायता सेवाओं, मर्दानगी व जनानेपन की धारणाओं के बारे में जागरूकता आदि पर चिंतन व समीक्षा की प्रक्रिया शुरू की जा सके।

लोगों ने सुझाव दिया कि आम जनता के लिए नियमित रूप से संवेदीकरण/जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए, महिला विरोधी हिंसा के खिलाफ बड़े–बड़े चित्रात्मक संदेशों का प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए और बच्चों की कॉपियों पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ संदेश छापे जाने चाहिए।